उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003

कार्मिक अनुभाग–2

उत्तरांचल शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 591/कार्मिक–2/2003/55 (27)/2002
देहरादून, 13 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003

भाग–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

लागू होने की सीमा

2. यह नियमावली उत्तरांचल के कार्यों से सम्बन्धित ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों पर लागू होगी, जिनमें भर्ती के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा, उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति करना अपेक्षित हो।

इन नियमों के प्रभाव का अधिभूत होना

3. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

4. जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में –

(क) किसी सेवा या पद के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य उस सेवा या पद पर नियुक्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से है, तथा राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने की दशा में, इसके अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार या उत्तरांचल सरकार से सम्बद्ध विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव अथवा अपर सचिव भी होंगे;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है;

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(ङ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य उत्तरांचल के कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी सेवा में या पद पर भर्ती को, या उस सेवा में या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों, विनियमों या सरकारी आदेशों से है;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीनों की अवधि से है।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 591/ Karmik-2/2003/ 55 (27)/2002, dated May 13, 2003 for general information :

No. 591/ Karmik-2/2003/55 (27)/2002
Dated Dehradun, May 13, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :

UTTARANCHAL PROMOTION BY SELECTION IN CONSULTATION WITH PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE) RULES, 2003

PART – I
Preliminary

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called Uttaranchal Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003.

(2) It shall come into force atonce.

Extent of application

2. These rules shall apply to all services and posts in connection with the affairs of Uttaranchal to which recruitment by promotion is required to be made by selection in consultation with the Uttaranchal Public Service Commission otherwise than on the results of a competitive examination.

Overriding effect on these rules

3. The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything in consistent therewith in any service rules in force immediately before the commencement of these Rules.

Definitions

4. In these rules, unless the context otherwise requires --

(a) "appointing authority" on relation to any service or post means the authority empowered to make appointments to that service or post and in the case of the Governor being the appointing authority, includes the Chief Secretary to Government or the Principal Secretary, Secretary, Additional Secretary to Government in the Department concerned ;

(b) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission ;

(c) "Government" means the Government of Uttaranchal ;

(d) "Governor" means the Governor of Uttaranchal ;

(e) "Service rules" means rules, regulations or Government orders regulating recruitment to, or the conditions of service of persons appointed to, any service or post in connection with the affairs of Uttaranchal ;

(f) "Year of recruitment" means the period of twelve months beginning from the first day of July of a calendar year.

भाग–2

पदोन्नति के लिए मानदण्ड

पदोन्नति के लिए मानदण्ड

5. (1) यदि किसी सेवा नियमावली में "सर्वथा योग्यता" (स्ट्रिक्ट मेरिट) अथवा "मुख्य रूप से योग्यता" (प्राइमरिलि ऑन मेरिट) या "समस्त पात्रता क्षेत्र से योग्यतानुसार कड़ाई से चयन" (रिगरेस सेलेक्शन ऑन मेरिट फ्राम दी होल फील्ड ऑफ एलीजीबिलिटी) अथवा "सर्वथा योग्यतानुसार" या "योग्यता समान होने की दशा में ज्येष्ठता की गणनीयता" या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् "योग्यता" (मेरिट) के मानदण्ड का पालन किया जायगा।

(2) यदि किसी सेवा नियमावली में या तो "ज्येष्ठता" (सीनियारिटी) अथवा "ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता" (सीनियारिटी कम फिटनेस) या "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ अनफिट) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने पर बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन ऑफ अनफिट) के मानदण्ड का पालन किया जायगा।

(3) ऐसे समस्त मामलों में जहाँ कोई भी सेवा नियमावली विद्यमान न हो अथवा जिस सेवा नियमावली में स्पष्टतया यह निर्धारित न हो कि उपनियम (1) तथा (2) में पदोन्नति के लिए उल्लिखित दो मानदण्डों में से किसी मानदण्ड का अनुसरण किया जायगा तो उस दशा में उक्त दोनों मानदण्डों में से राज्यपाल द्वारा, आयोग के परामर्श से निर्धारित मानदण्ड का अनुसरण किया जायगा।

पात्रता की अन्य शर्तें

6. (1) इस नियमावली की किसी बात से, आयु, शैक्षिक या प्राविधिक अर्हताओं, अनुभव का प्रकार अथवा सेवा की अवधि से सम्बद्ध पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में किसी सेवा नियमावली के किसी उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिवाय उस सीमा तक कि वह संगत दिनांक, जिसके अभिदेश में यह समझा जाय कि अभ्यर्थी ने ऐसी शर्तें पूरी कर ली हैं, भर्ती का वर्ष प्रारम्भ होने का दिनांक होगा।

(2) सेवा नियमावली में उपयुक्त पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी उपबन्ध के न होने पर, उक्त शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें राज्यपाल आयोग के परामर्श से अवधारित करें।

भाग–3

योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया

इस भाग का लागू होना

7. यदि नियम 5 के उपबन्धों के आधार पर योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति करना हो तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

पात्रता सूची तैयार करना

8. नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियाँ उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए, तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेंगी, जिनमें यथासम्भव रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु कम से कम आठ नाम रक्खे जायेंगे :

PART -- II

Criteria for Promotion

Criteria for promotion

5. (1) Where any service rules provide either "Strict merit" or "primarily on merit" or "rigorous selection on merit from the whole field of eligibility" or "Strict on merit" or "Seniority counting where merits are equal" or any such other criterion, however expressed, as lays primary stress on merit as the basis of selection for promotion the criterion to be followed on and after commencement of these rules shall be "merit".

(2) Where any service rules provide either "Seniority" or "Seniority subject to the rejection of the unfit" or any such other criterion, howsoever expressed, as lays primary stress on seniority as the basis of selection for promotion, the criterion to be followed on and after the commencement of these rules shall be "seniority subject to the rejection of the unfit".

(3) In all cases in which no service rules exist, or in which the service rules do not lay down clearly which of two criteria for promotion mentioned in sub-rules (1) and (2) is to be followed such criterion of the two shall be followed as may be decided upon by the Governor in consultation with the Commission.

Other conditions of eligibility

6. (1) Nothing in these rules shall effect any provision in respect of the conditions of eligibility for promotion relating to age, educational or technical qualifications nature of experience or length of service except to the extent that the relevant date with reference to which a candidate shall be deemed to have fulfilled such conditions shall be the date of commencement of the year of recruitment, any service.

(2) In the absence of any provision in the service rules in respect of the conditions of eligibility as aforesaid, the said conditions shall be such by the Governor in consultation with the commission.

PART -- III

Procedure of Promotion Where the Criterion is Merit

Application of this part

7. Where by virtue of the provisions of rule 5, promotion is to be made on the criterion of merit, the procedure laid down in this part shall be followed.

Preparation of eligibility list

8. The appointing authority shall prepare these lists to be called the eligibility lists, of the senior most eligible candidates from each of the category namely, General, Scheduled castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of vacancies available for each of the said categories containing names as for as possible three times the number of vacancies subject to the minimum of light :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में पृथक पात्रता सूचियाँ तैयार की जायेंगी और उस दशा में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों के लिए पात्रता सूचियाँ तैयार करते समय, पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होंगी :–

(क) द्वितीय वर्ष के निमित्त–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग;

(ख) तृतीय वर्ष के निमित्त–उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्याओं का योग;

और इसी प्रकार आगे भी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथमदृष्टया, पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायगी।

स्पष्टीकरण 1–

इस नियम में "रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो भर्ती के वर्ष में हुई हों।

स्पष्टीकरण 2–

सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिए पात्रता की एक एकल सूची तैयार की जायेगी।

आयोग को सूचियाँ भेजना

9. नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले समस्त व्यक्तियों की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियाँ और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका आयोग को प्रेषित करेगा और भर्ती के प्रत्येक वर्ष की, जिसके लिए चयन प्रस्तावित है, रिक्तियों की संख्या भी आयोग को सूचित करेगा।

पात्रता की सूची का पुनरीक्षण

10. यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि नियम 9 के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों में से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठतम, अथवा सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियाँ उसमें सम्मिलित करने के लिए कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे और नियुक्ति प्राधिकारी तद्नुसार नियम 8 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा।

चयन समिति

11. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(1) आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका अध्यक्ष या सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी; तथा

(3) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ज्येष्ठ अधिकारी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हों तो सामान्यतया उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस खण्ड के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

Provided that if recruitment is to be made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, separate eligibility lists will be prepared in respect of each such year and in such a case while preparing the eligibility list for second and subsequent years of recruitment, the number of candidates to be included in the eligibility list shall be as follows :--

(a) for the second year -- the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first year ;

(b) for the third year -- the number according to the said proportion plus the number of vacancies in the first and second year, and so on :

Provided further that the candidates who are not considered suitable, prima facie, for promotion shall not be taken into account in calculating the said proportion, and a note to the effect that they are not so considered shall be added against their names.

Explanation I --

In this rule "the number of vacancies" means the total number of substantive, temporary or officiating vacancies occurring during the year of recruitment.

Explanation II --

A single eligibility list shall be prepared to cover all types of vacancies.

9. The appointing authority shall forward to the commission the eligibility list or lists together with the gradation list of all persons with in the field of eligibility and the character rolls of the candidates included in the eligibility list or lists and also intimate to it the number of vacancies of each year of recruitment for which selection is proposed. Sending of lists to commission

10. If in any case the Commission feds that the requisite number of suitable candidates may not be available from amongst those names are included in the list or lists received by it under rule 9, it may ask the appointing authority to include therein the names and character rolls of such larger number of the senior-most, or of all, eligible candidates, as it thinks fit, and the appointing authority shall notwithstanding anything contained in rule 8, accordingly. Review of eligibility list

11. A selection committee consisting of the following shall be constituted by the appointing authority :-- Selection Committee

(i) the Chairman or Member representing the Commission who will be the Chairman of the committee;

(ii) the appointing authority; and

(iii) a senior officer of that or any other department nominated by the Government provided that where the appointing authority is the Government the Head of that department shall ordinarily be nominated under this clause.

चयन के लिये दिनांक निश्चित करना

12. (1) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिए कोई दिनांक निश्चित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि चयन कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है।

(2) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त दिनांक या दिनों पर बुलायेगा।

(3) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों पर विचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है जो उसकी राय में संगत हो।

चयन सूची

13. चयन समिति योग्यता के अनुसार एक सूची अर्थात् चयन सूची तैयार करेगी जिसमें नियम 9 के अधीन आयोग को सूचित की गयी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिये, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जाय तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के सम्बन्ध में चयन उस वर्ष के लिए तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायेगा। ऐसी दशा में किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम यथास्थिति उससे बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे।

आयोग का अनुमोदन

14. आयोग, चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् यथा अनुमोदित चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

ज्येष्ठताक्रम में चयन सूची का फिर से क्रमबद्ध किया जाना

15. नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठताक्रम में चयन सूची को फिर से क्रमबद्ध करेगा।

चयन सूची से नियुक्ति

16. चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियम 9 के अधीन आयोग को यथा अधिसूचित रिक्तियों के प्रति उस क्रम में नियम 15 के अधीन फिर से क्रमबद्ध की गयी सूची में उनके नाम आये हों, नियुक्त किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिवीक्षा के दौरान किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि मौलिक रूप से नियुक्त सरकारी सेवक संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो वह उसे कोई कारण बताये बिना उस पद पर जिससे पदोन्नत किया गया है, प्रत्यावर्तित कर सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भर्ती के किसी वर्ष की चयन सूची का उपयोग भर्ती के उसी वर्ष की रिक्तियों के लिये किया जायेगा।

Fixing of dates for Selection

12. (1) The appointing authority shall in consultation with the Commission fix a date for selection :

Provided that the process of selection may spread over the dates more than one.

(2) In case the Commission or the appointing authority considers it necessary that all or any of the candidates included in the eligibility list or lists should be interviewed by the Selection Committee, the appointing authority shall call such candidates or candidate, as the case may be, for the purpose on the aforesaid date or days.

(3) The Selection Committee shall in each case consider the character rolls of the candidates and may consider any other factor relevant in its opinion.

Select list

13. The Selection Committee shall prepare two lists in order of merit, namely select list, containing names of candidates recommended for substantive appointment against the permanent vacancies intimated to the Commission under rule 9 :

Provided that if recruitment is made for vacancies occurring during more than one year of recruitment, the selection in respect of each such year shall be made from the eligibility list prepared for that year. In such a case, the names of candidates selected against vacancies of one year will be excluded from the eligibility list or lists of subsequent year or years, as the case may be, before making the selection from eligibility lists of the second and subsequent years.

Commission's approval

14. The Commission shall consider the recommendations of the Selection Committee and thereafter send the select list, as approved, to the appointing authority.

Rearrangement of select list in order of

15. The appointing authority shall rearrange the select lists in the order of seniority.

Appointment from select list

16. Candidates included in the select list shall be appointed against vacancies as notified to the Commission under rule 9, in the order in which their names appear in the list as re-arranged under rule 15 :

Provided that if it appears to the appointing authority at any time during the period of probation that a Government servant appointed substantively vacancy has failed to give satisfaction, it may without assigning any reason revert him to the post from which he was promoted :

Provided further that the selected list of a year of recruitment shall be utilised only for vacancies of that year of recruitment.

भाग–4

पदोन्नति की प्रक्रिया

यदि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता मानदण्ड हो।

इस भाग का लागू होना

17. यदि नियम 5 के उपबन्धों के आधार पर, अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदण्ड से पदोन्नति की जानी हो, तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

पात्रता सूची तैयार करना

18. (1) नियम 19 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, नियुक्ति प्राधिकारी, प्रत्येक अनुभाग से अर्थात् सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियाँ जिसे ज्येष्ठतम पात्र अधिकारियों की पात्रता सूचियाँ कहा जायेगा, तैयार करेगा। जिसमें उक्त प्रत्येक अनुभाग के लिये उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए यथासम्भव निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :–

1 से 5 तक रिक्तियों के लिए – रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम 5।

5 से अधिक रिक्तियों के लिये – रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना किन्तु कम से कम 10।

नियम 8 का प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड और स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तन सहित इस नियम पर लागू होंगे।

(2) भाग तीन में नियत शेष प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी सिवाय इसके कि भाग तीन में अभिदिष्ट चयन सूची, चयन समिति द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठताक्रम में तैयार की जायेगी।

कुल मामलों में चयन समिति संघटित न करने का अधिकार

19. नियम 18 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिए पूर्णतः योग्य है और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है, तो आयोग यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हो, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है। उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिए यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
सचिव।

PART -- IV

Procedure of Promotion Where the Criterion is Seniority Subject to the Rejection of Unfit

17. Where by virtue of the provisions of rule 5, promotion is to be made on the criterion of Seniority Subject to the rejection of the unfit, the procedure laid down in this part shall be followed. Application of this part

18. (1) Except as otherwise provided in rule 19, the appointing authority shall prepare 3 lists to be called the eligibility lists of the senior-most eligible candidates from each of the sections namely General, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately, in the light of vacancies available for each of the said sections containing names, so far as may be, in the following proportion :-- Preparation of eligibility list

For 1 to 5 vacancies --

Two times the number of vacancies subject to a minimum of five.

For over 5 vacancies --

1½ times the number of vacancies subject to a minimum of 10.

The first proviso and the explanations to rule 8 shall mutatis mutandis apply to this rule.

(2) The rest of the procedure prescribed in part III shall mutatis mutandis apply to promotion made under this part except that the select list referred to in part III shall be prepared by the Selection Committee in order of seniority subject to the rejection of the unfit.

19. Notwithstanding anything in rule 18 if in any case the number of vacancies to be filled in small, and the appointing authority considers the senior-most candidate or candidates clearly fit for promotion and accordingly no super session is involved, the Commission may, if it agrees with the view of the appointing authority, approved the proposal straightway. In that case no Selection Committee need be constituted and the candidate or candidates so approved shall be deemed to have been duly selected for promotion. Power to dispense with Selection Committee

By Order,

ALOK KUMAR JAIN,
Sachiv.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 1 कार्मिक / 22-2003-1,000 (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।